

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग:

लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के जिला योजना के एस0सी0 पी0 की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-2666/यूपीनेडा- एसई-पीवीपीपी/एसएसएल-बजट/2021-22, दिनांक 12-10-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) 30प्र0 को अनुदान संख्या-83 में जिला योजना के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 142.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 71,00,000/- (रू0 इकहतर लाख मात्र) शासनादेश संख्या- 686/87-अति0ऊ0सो0वि0/2021, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा निर्गत की गयी थी। तदनुक्रम में द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष बची 50 प्रतिशत धनराशि रू0 71,00,000/- (रू0 इकहतर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर व्यय करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा भारत सरकार से अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि भी भारत सरकार से समयान्तर्गत प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।
- 4- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा ।
- 5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
- 6- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे। कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसके लिये कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी कराई जाय।
- 7- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
- 8- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 9- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।
- 10- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 11- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-“2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-02-सौर-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-नान कन्वेंशनल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-0302-(जिला योजना)-27-सब्सिडी” के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

12- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/ 2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, 30प्र0 शासन।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (5) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30 प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव ।